मॉड्यूल 8

सुरक्षित प्रवासन

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

सुरक्षित प्रवासन

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)
173-ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017
फोन : 91-11-29541841/29541858
फैक्स : 91-11-29542464,
ई-मेल : cec@cec-india.org, **वेबसाइट** : www.cec-india.org

मई 2018

परिकल्पना एवं रचना :
दी इन्फॉर्मेशन ऐण्ड फीचर ट्रस्ट
लक्ष्मी (कैयदम), तोंडयाड, कालीकट - 17
सामग्री निर्माण : **रूची गुप्ता**
विजुअल प्रस्तुति : **विबगयोर स्टुडियो**

यह मॉड्यूल **सीईसी** द्वारा **प्रयास** एवं **टेरे डे होम्स (टीडीएच)** की साझेदारी में और **यूरोपीय यूनियन** की वित्तीय सहायता से चलायी जा रही परियोजना **'एम्पॉवरिंग सीएसओज़ फॉर डीसेंट वर्क ऐण्ड ग्रीन ब्रिक्स इन इंडियाज़ ब्रिक किल्न्स'** के अंतर्गत तैयार किया गया है।

प्रवासन एवं उससे संबंधित समस्याएं

प्रवासन एवं उससे संबंधित समस्याएं

भट्टे पर आने से पहले और आने के बाद आपने इनमें से किन-किन समस्याओं का सामना किया है :

- प्रवासन के विकल्पों का चुनाव करने में। यानी यह तय करने कीमें ठेकेदार के जरिए आएं या खुद आएं या श्रम विनिमय व्यवस्था के माध्यम से आएं।
- कहां जाना है, यह तय करने में।
- घर से रवाना होने के समय यह तय करने में कि कौन सी चीजों को लेकर जाना जरूरी है और किन चीजों को छोड़कर जाना है।
- अपने कार्यस्थल तक जाने और वहां से लौटने की यात्रा के दौरान।
- सीजन के आखिर में मिली आमदनी को सुरक्षित रखने और उसे घर लाने में।
- समस्या पैदा होने पर किससे बात करें, इसकी जानकारी न होना।

प्रवासन एवं उससे संबंधित समस्याएं

- क्या एक प्रवासी मजदूर के तौर पर आपके अधिकारों की अवहेलना हुई है।ध
- क्या अपने कार्यस्थल पर आपको भेदभाव और बेदखली का अनुभव हुआ? आपको बाहरी माना गया?

प्रवासन के बारे में तैयार किए गए इस मैन्युअल से
आपको इनमें से कुछ समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी

अपने मौलिक अधिकारों को जानें

भारत के संविधान में दिए गए भाग ३ में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसी भाग के अनुच्छेद १९ में नागरिकों को निम्नलिखित आश्वासन दिए गए हैं :

(क) अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी

(ख) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता

(ग) एसोसिएशन/संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार

(घ) भारत के भूभाग में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने का अधिकार

(ड) भारत के भूभाग में कहीं भी रहने और बसने की आजादी

(च) कोई भी व्यवसाय करने या कोई भी व्यापार अथवा कार्य करने की स्वतंत्रता।

प्रवासी मजदूर होने से न तो प्रदेश के नागरिक के रूप में आपकी कानूनी हैसियत में कमी आती है और न ही आपके अधिकारों में कोई कटौती होती है।

अपने मौलिक अधिकारों को जानें

संविधान के अनुच्छेद २१ में बताया गया है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा और किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार में शोषण से मुक्त रहते हुए सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आवास का अधिकार, भोजन का अधिकार, प्राइवेसी/निजता का अधिकार भी शामिल है।

अनुच्छेद २१ए - शिक्षा का अधिकार - आपके बच्चे को ६ साल से १४ साल की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

सुरक्षित प्रवासन को समझना

सुरक्षित प्रवासन को समझना

हम काम करने या बसने के लिए अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में जाने का फैसला ले सकते हैं। जब हम इस तरह काम के लिए या बसने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं तो इसे प्रवासन कहा जाता है।

जहां तक भट्टों का सवाल हैं तो ज्यादातर भट्टा मजदूर भी या तो दूसरे राज्य (राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा आदि) में या अपने ही राज्य के किसी दूसरे जिले या गांव में जाकर रहने और काम करने लगते हैं।

हम नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए काम की तलाश में प्रवासन करते हैं :

- बेहतर तनख्वाह की उम्मीद में
- अपनी क्षमता/कौशल में सुधार के लिए - मौजूदा हुनर को निखारने और नए हुनर सीखने के लिए
- लक्ष्य स्थान पर बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए क्योंकि हो सकता है वह जगह शहर के ज्यादा नजदीक हो।
- आर्थिक संकट और कठिन हालात से उबरने के लिए

सुरक्षित प्रवासन को समझना

सुरक्षित प्रवासन का मतलब है कि एक प्रवासी मजदूर के तौर पर आपके अधिकारों की रक्षा हो, प्रवासी मजदूर अपने प्रवासन की हर अवस्था में पेश आने वाले जोखिमों के बारे में चौकस हों और हमारे पास सभी जरूरी व्यावहारिक जानकारियां हों। प्रवासी मजदूरों के सामने कुछ जोखिम ये हो सकते हैं - मामूली तनख्वाह और खराब परिस्थितियों में काम करने की मजबूरी, बच्चों से मजदूरी कराने की मजबूरी, गाली-गलौच, मारपीट या यौन उत्पीड़न, जबरन मजदूरी वगैरह।

अगर प्रवासन सुरक्षित है तो इससे मजदूर को लाभ होता है और उसे व उसके परिवार के लिए नए अवसरों के द्वार खुलते हैं।

प्रवासन की प्रत्येक अवस्था में सही जानकारियां हासिल करना सबसे पहली जरूरत है। ये जानकारियां जुटाने का सिलसिला प्रवासन के पहले तभी से शुरू हो जाता है जब हम इस बारे में फैसला लेते हैं।

फैसला लेने का तरीका

फैसला लेने का तरीका

जब आप अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और संगी-साथियों के साथ बात करके यह तय कर लेते हैं कि आप भट्टे में मजदूरी करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रवासन का सही रास्ता चुनना चाहिए।

इन चीजों पर गौर करें :

- आपके पास प्रवासन के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
- आपको प्रवासन के विकल्प किस तरह चुनने चाहिएं?

प्रवासन के रास्ते

आपके गांव से आमतौर पर जो लोग ईंट भट्टों में जाते हैं उनके बीच प्रवासन के कुछ तरीके पहले से प्रचलित होंगे। आमतौर पर वे ठेकेदार के जरिए भट्टों पर जाते होंगे। आप ठेकेदार का चुनाव करते हुए इन चीजों को ध्यान में रखें :

- उस ठेकेदार के साथ काम कर चुके दूसरे मजदूरों का अनुभव कैसा रहा?

फैसला लेने का तरीका

- वह ठेकेदार कितने साल से इस कारोबार में है?
- क्या वह रजिस्टर्ड/लाइसेंसशुदा ठेकेदार है?

क्या रवाना होने से पहले ठेकेदार आपको इन सारी बातों की जानकारी दे रहा है :

१. आपकी मंजिल का ब्यौरा - आप किस गांव, जिले और राज्य में जा रहे हैं, मालिक के बारे में जानकारी।

२. आप किस तरह का काम करेंगे? क्या आपको भट्टे में और काम भी करने होंगे?

३. चाहे पीस रेट पर हो या टाइम रेट पर हो, आप जो भी काम करेंगे उसके लिए भुगतान कैसे होगा?

४. भुगतान की अवधि, तरीका और पर्ची।

५. भुगतान कौन करेगा - क्या ठेकेदार भुगतान में कराने में भी सहायता देगा?

फैसला लेने का तरीका

६. खर्ची या साप्ताहिक भत्ते का हिसाब कैसे लगाया जाएगा? भुगतान कितने दिन में होगा? अंतिम हिसाब में उसकी कटौती कैसे होगी?

७. मजदूर को हर हफ्ते/हर महीने न्यूनतम और अधिकतम खर्ची कितनी मिलेगी?

८. भट्टे पर हालात कैसे होंगे - पीने का पानी, शौचालय, स्कूल वगैरह।

९. मालिक की तरफ से भट्टे पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी - जलावन की लकड़ी, बिजली, औजार और उपकरण, घर बनाने की सामग्री और बीमार पड़ने पर इलाज की सुविधा।

१०. क्या आपके उत्पादन में से कटौती का भी तरीका होगा? यदि हां तो कटौती की दर क्या होगी? इन कटौतियों के बारे में अपेक्षित मात्रात्मक अनुमानों के साथ-साथ लाइन ब्यौरा भी दिया जाएगा या नहीं।

११. ठेकेदार कितना कमीशन लेगा (यानी ठेकेदार के कमीशन के नाम पर कितनी कटौती की जाएगी)। अगर ठेकेदार कमीशन लेता है तो वह एक बार लेगा या बार बार लेता रहेगा?

फैसला लेने का तरीका

१२. कार्यस्थल पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं?

१३. अगर कोई दुर्घटना, बीमारी या मौत होती है तो मालिक और ठेकेदार क्या करेंगे?

१४. अगर मालिक मजदूरों को परेशान करता है या उनका उत्पीड़न करता है तो क्या ठेकेदार ऐसे मजदूरों को नई नौकरी दिलाने में मदद करेगा?

१५. क्या ठेकेदार ने इस दौरान होने वाले खर्चों और लागतों के बारे में आपको खुलकर बताया है?

प्रवासन के दूसरे तरीके

प्रवासन के दूसरे तरीके

आप प्रवासन के इन दूसरे तरीकों पर भी ध्यान दे सकते हैं :

- मालिक से खुद बाात करके देखें
- नागर समाज संगठनों और ट्रेड यूनियन आदि संगठनों द्वारा चलाए जा रहे मजदूरों के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के बारे में पता लगाएं

अपना विकल्प चुनने के समय इन चीजों का खयाल रखें :

- क्या यह विकल्प मुझे एक सम्मानजनक नौकरी दिला पाएगा?
- क्या इस विकल्प का इस्तेमाल करने से मुझे पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलेगीं?
- क्या इस रास्ते से आपको जरूरी जानकारियां (आपकी अपनी भाषा में), काम के हालात की जानकारी, कार्यस्थल की जानकारी मिलेगी? उनमें ये जानकारियां जरूर हों :

  व आवाजाही की स्वतंत्रता

प्रवासन के दूसरे तरीके

- व संगठित होने की स्वतंत्रता
- व कार्यस्थल पर समानता
- व सम्मानजनक कार्यस्थल - उत्पीड़न, गाली-गलौच, डराने-धमकाने और हिंसा से मुक्त
- व शिकायत प्रक्रिया
- व वापसी यात्रा सहित आने-जाने का बंदोबस्त
- व काम के हालात और शर्तें

- अपने गांव के अन्य प्रवासी मजदूरों से भी चर्चा करें और सलाह लें। उनके माध्यम से पता लगाएं कि भट्टों में उनके सामने क्या समस्याएं आईं हैं। क्या उनकी मजदूरी के भुगतान में भी कभी धांधली हुई है? क्या उन्हें भी भट्टा छोड़ने से रोका गया? क्या वे बीमार पड़े? क्या ठेकेदार या मालिक के साथ उनका कोई विवाद हुआ? इन सब चीजों के बारे में पता लगाएं।
- पूरी प्रक्रिया में कितने बिचौलिए होंगे यह अच्छी तरह पता लगाएं।

प्रवासन के दूसरे तरीके

- मंजिल तक पहुंचने का रास्ता और साधन क्या होंगे?
- अगर आप पेशगी/कर्जा लेते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जहां आपके पास सही विकल्प चुनने की आजादी नहीं होगी और आपको कर्जदाता की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। क्या आप पेशगी लिए बिना भट्टे पर जा सकते हैं? अगर आप पेशगी लेते हैं तो यह आपकी पूरी सहमति और जानकारी में भी होना चाहिए।
- दूसरे मजदूरों से उस ठेकेदार के बारे में पता लगाएं।

याद रखें, आप कहां और कैसे काम के लिए जाना चाहते हैं, इस बारे में आप जो भी फैसला लेंगे, उसके बारे में फैसला लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी इच्छा के खिलाफ कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

पूरी जानकारी मिलने पर ही काम करने की सहमति दें। यह आपका अधिकार है। ऐसे प्रवासन से आपकी जिंदगी में तरक्की होगी और आपका सशक्तिकरण होगा।

भेदभाव

भेदभाव

भर्ती, भुगतान, लाभों, काम के दौरान किसी भी स्थिति में आपके साथ जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

कार्यस्थल पर आपके साथ निष्पक्ष और समानता का बर्ताव किया जाना चाहिए।

आपकी कार्य परिस्थितियां और काम की शर्तें स्थानीय मजदूरों से भिन्न नहीं होनी चाहिए।

रवानगी से पहले तैयारी

रवानगी से पहले तैयारी

चूंकि आप जल्दी ही अपनी मंजिल की तरफ यात्रा के लिए निकलने वाले हैं और इस दौरान ८-९ महीने तक आप अपने घर-गांव से बाहर रहेंगे इसलिए कुछ बातों का खास खयाल रखें :

(क) अगर आप अपने परिवार को पीछे छोड़कर जा रहे हैं तो :

- देखें कि आपके बच्चों के लिए इस दौरान छात्रावास का बंदोबस्त उपलब्ध है या नहीं।
- परिवार के जो सदस्य पीछे रह जाएंगे उनमें से किसी एक या अधिक सदस्यों का बैंक में खाता होना चाहिए। आप जो पैसा घर भेजेंगे वह इस खाते से उन्हें मिल जाएगा।
- अपने परिवार के सभी फोन नम्बर और पूरा पता ठेकेदार या उस एजेंसी को जरूर दें जिसकी मार्फत आप भट्टे पर जा रहे हैं। परिवार वालों को भी भट्टे, ठेकेदार और मालिक का पूरा पता और नाम बताकर जाएं।
- परिवार वालों को दूसरे मजदूरों के फोन नम्बर भी बताएं ताकि वे कठिन स्थिति में आपसे संपर्क न होने पर उनसे संपर्क कर सकें।

रवानगी से पहले तैयारी

(ख) अगर आपके परिवार वाले भी आपके साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो :

- अपने गांव के मुखिया और रिश्तेदारों को बता कर जाएं कि आप कहां जाने वाले हैं।
- अगर आपका बच्चा स्कूल में प्ढ़ रहा है और यदि वह भी आपके साथ जाने वाला है तो उसके अध्यापक और प्रधानाचार्य से मिलकर उन्हें इस बारे में जानकारी दें।
- अगर आपके गांव में पंचायत, स्कूल या किसी नागर समाज संगठन ने ग्राम प्रवासन रजिस्टर तैयार किया है तो उसमें अपना व अपने परिवार वालों के नाम व पता पंजीकृत कराएं।
- प्रवासन के अपने माध्यम और इस भट्टे पर पहले भी काम कर चुके अन्य मजदूरों से पता लगाएं कि वहां मोबाइल स्कूल या कार्यस्थल पर स्कूल उपलब्ध है या नहीं।
- अगर आपके साथ दूधमुंहे बच्चे और गर्भवती मांएं भी जा रही हैं तो गांव की आशा कार्यकर्ता से जरूर बात करें। रवानगी से पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर सबकी जांच कराएं और जो भी दवाइयां बताई जाएं वे लेकर जाएं। अपने बच्चों को समय पर टीके लगवा लें।

रवानगी से पहले तैयारी

(ग) बैंक में अपना खाता खोले। ये जानें कि बैंक खाते में लेन-देन कैसे होता है। अगर जरूरत पड़े तो किसी से इस बारे में मदद लें। आपको अपनी बचत पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए और इस बात की आजादी होनी चाहिए कि आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकारी न दें। किसी को भी अपनी पास बुक या एटीएम कार्ड कभी न दें।

(घ) आरएसबीवाई कार्ड, बीओसीडब्ल्यू कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवा लें और उसकी कुछ प्रतियां घर पर छोड़कर जाएं।

(ड) हिसाब की बुकलेट अपने पास रखें (जिसका ब्यौरा आर्थिक साक्षरता वाले मॉड्यूल में दिया गया था)। इससे आपको अपने उत्पादन और भुगतान का हिसाब रखने में मदद मिलेगी।

(च) चाइल्ड लाइन, रेलवे स्टेशन एन्क्वायरी, लेबर लाइन, हेल्पलाइन वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा करें (इनमें से कुछ का ब्यौरा दूसरे मॉड्यूल्स में दिया गया है)।

(छ) अपने निवास स्थान और मंजिल, दोनों जगह सक्रिय नागर समाज संगठनों, ट्रेड यूनियन संगठनों की संपर्क सूची अपने पास रखें।

यात्रा

यात्रा

यह यात्रा २-३ दिन की हो सकती है। इस दौरान आपको कई बार रेल/बस बदलनी पड़ सकती हैं और कई जगह रुकना पड़ सकता है।

- आप अपने बिचौलिए से यात्रा का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करें। याद रखें कि आईएसएमडब्ल्यू कानून के तहत आपके टिकट, सफर के दौरान खान-पान और यात्रा भत्ते का भुगतान ठेकेदार को ही करना चाहिए। अपने बिचौलिए से पता करें कि आपको यात्रा के दौरान होने वाले खर्चों का भुगतान किया जाएगा या नहीं।
- भट्टे तक पहुंचने की पूरी यात्रा का ब्यौरा अपने पास रखें। पता लगाएं कि वहां पहुंचने पर आपको कौन मिलेगा। संपर्क व्यक्ति से आप यात्रा से काफी पहले ये सारी जानकारियां ले लें।
- रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर अनजान लोगों के झांसे में न आएं।
- अपने मोबाइल फोन और बैटरी चार्ज करके रखें।

यात्रा

भट्टे पर पहुंचने पर आपका ओरिएंटेशन

- मालिक की तरफ से किए गए रहने-सहने के बंदोबस्त को देखें। अगर आपसे खुद अपना क्वार्टर बनाने के लिए कहा जाता है तो पता लगाएं कि मालिक की तरफ से इस मद में क्या मदद दी जाएगी।
- आपके कार्यस्थल पर पीने लायक और पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। साथ ही वहां पर्याप्त जगह, शौचालय और नहाने की जगह भी होनी चाहिए।
- भट्टे पर इलाज की क्या सुविधा है, यह देखें। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना या बीमारी होती है तो आप किससे संपर्क करेंगे।
- काम के बारे में जरूरी जानकारियां मांगें।
- क्या निजी सुरक्षा साधन मुहैया कराए गए हैं?
- काम के दौरान आपको किस तरह के साधन और उपकरण मिलेंगें? इन उपकरणों के इस्तेमाल और रखरखाव के बारे में जानकारी मांगें।

यात्रा

- अगर आप स्थानीय भाषा नहीं समझते हैं तो इस बारे में सोचें कि आप अपनी बात कैसे कहेंगे और आपको जो जानकारियां दी जा रही हैं उन्हें आप कैसे समझ पाएंगे।
- अगर आपको पढ़ना-लिखना नहीं आता है तो क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिकॉर्ड को संभालने में आपकी मदद कर सके।
- आपके संपर्क व्यक्ति या मालिक की जिम्मेदारी है कि आपको अनुशासनात्मक नियमों के बारे में अच्छी तरह से बताएं। ये नियम सभी के लिए एकसमान और प्रगतिशील होने चाहिए यानी केवल मौखिक चेतावनी दी जाएगी, मारपीट नहीं की जाएगी। उनको बताना चाहिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी और इसके लिए किसी भी तरह की गाली-गलौच और अमानवीय सजा (भुगतान में कटौती, जबरिया मजदूरी या जोर-जबरदस्ती) का सहारा नहीं लिया जाएगा।
- आपको तनख्वाह और उत्पादन के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए (मालिक पांच साल तक इस तरह के रिकॉर्ड रखते हैं)। यह रिकॉर्ड पूरी तरह सटीक और पारदर्शी होना चाहिए।

यात्रा

- भट्टे पर काम करने और रहने की जगह आमतौर पर एक ही होती है। ऐसे में काम की जगह और रहने की जगह के बीच आपको कभी भी आने-जाने की छूट मिलनी चाहिए। आपको भट्टे/काम की जगह पर रोककर नहीं रखा जा सकता। आपको कभी भी अपने कस्बे/गांव लौटने का अधिकार होता है।
- आपको संगठित होने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
- आपको कार्यस्थल पर शिकायत सुनवाई व्यवस्था की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

नौकरी छोड़ने का तरीका

- इस बारे में जानकारी मांगें कि अगर आप मियाद खत्म होने से पहले ही अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। इस बात का खयाल रखें कि ऐसी स्थिति में आपके भत्ते और तनख्वाह में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और न ही बाद में भुगतान का तर्क दिया जाना चाहिए।

यात्रा

- अगर आपको अपनी मर्जी के खिलाफ नौकरी से निकाला जा रहा है तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में जानकारी मांगें।
- ठेकेदार को चाहिए कि वह काम खत्म हो जाने या स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने की स्थिति में अथवा मालिक द्वारा आपके अधिकारों की अवहेलना होने पर नौकरी छोड़ने की स्थिति में आपकी घर वापसी का बंदोबस्त करे।

शिकायतों की सुनवाई

शिकायतों की सुनवाई

- यूनियन तथा अन्य मजदूर संगठनों के मामले में : किसी ऐसी यूनियन या मजदूर संगठन की सदस्यता लें जो आपके निवास स्थान या आपके भट्टे पर निर्माण मजदूरों या भट्टा मजदूरों को संगठित करती हो। यूनियन ही ठेकेदारों, मालिकों और सरकारी अधिकारियों को कानूनों के सही क्रियान्वयन के लिए मजबूर कर सकती है। यूनियन ही कार्यस्थल पर शोषण की रोकथाम के लिए कदम उठा सकती है। यूनियन के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी के सहारे मजदूर बदलाव का रास्ता खोल सकते हैं।

- नागर समाज संगठन (सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन - सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठन (नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन - एनजीओ) : मजदूरों के बीच बहुत सारे नागर समाज संगठन और गैर-सरकारी संगठन भी काम करते हैं। अपने निवास स्थान और भट्टे के आसपास सक्रिय ऐसे संगठनों के दफ्तर जाकर पता लगाएं कि वे क्या करते हैं।

- अगर आपको अपने साथ उत्पीड़न और हिंसा का खतरा दिखाई देता है तो नजदीकी थाने में जाकर मदद जरूर मांगें।

शिकायतों की सुनवाई

जागरूकता शिविरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मिली जानकारियों का पूरा इस्तेमाल करें। इस तरह की किसी भी जानकारी के इस्तेमाल से आपको प्रवासन के दौरान पैदा होने वाले खतरों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

भारत की संसद ने १९७९ में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति निययन) कानून पारित किया था। यह कानून अपने गृह राज्य से बाहर जाकर काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया था। यह कानून मालिकों, ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकता है और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करता है कि वे मजदूरों को उचित सुविधाएं/साधन मुहैया कराएं।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, १९७९

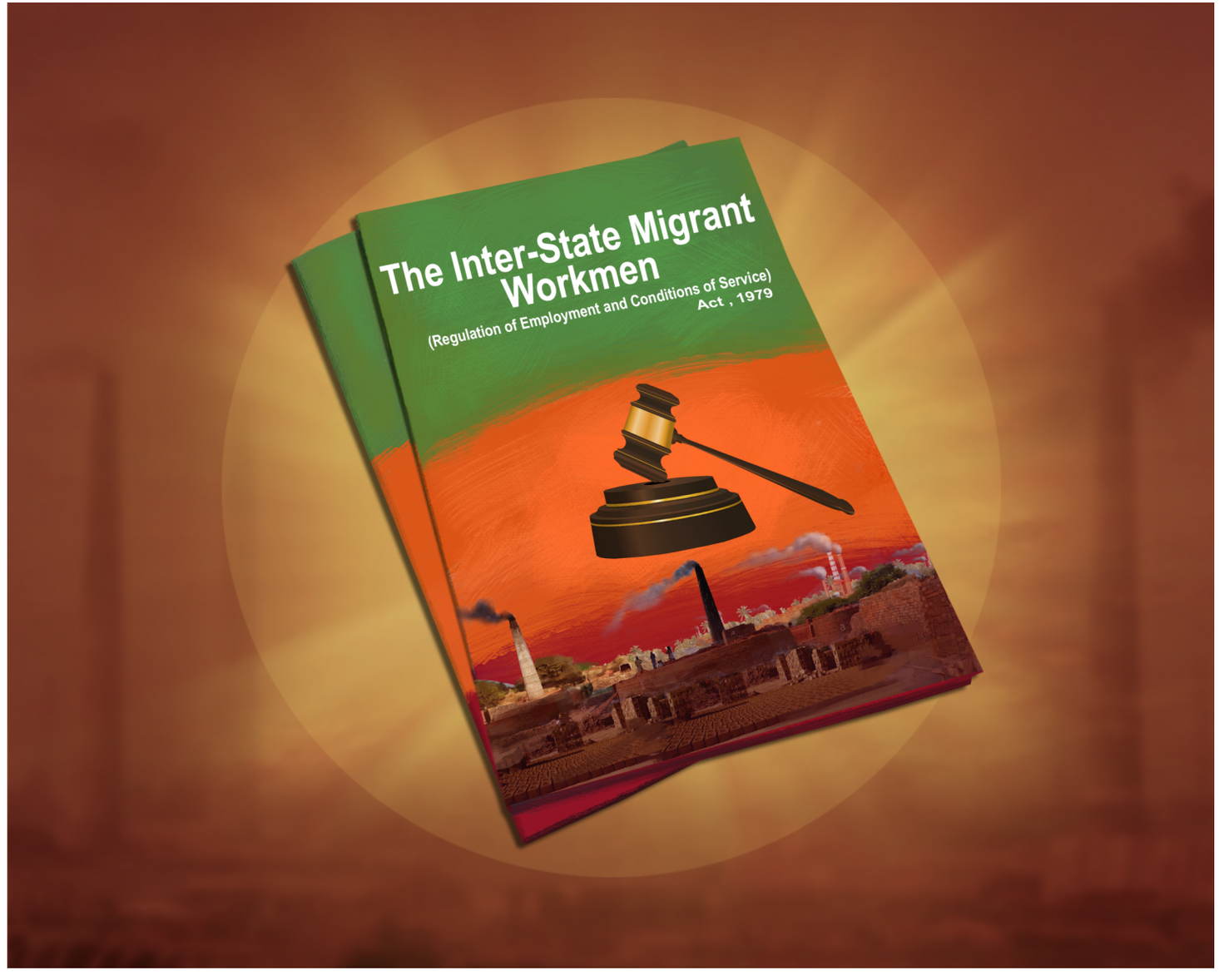

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, १९७९

यह कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के रोजगार के बारे में नियम तय करने के लिए बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि उनके नौकरी के हालात कैसे होने चाहिए।

यह कानून ऐसे सभी प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों व भट्टों पर लागू होता है जहां ५ या इससे अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं या पिछले १२ महीने में कभी भी काम कर चुके हैं। यह कानून जिन प्रतिष्ठानों या भट्टों पर लागू होता है उनका प्रधान नियोक्ता तब तक किसी दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूरों को काम पर नहीं रख सकता जब तक कि उसका प्रतिष्ठान उस कानून के तहत पंजीकृत न हो।

यह कानून ऐसे सभी ठेकेदारों पर भी लागू होता है जो ५ या इससे अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को काम पर रख रहे हैं या पिछले १२ महीनों के दौरान काम पर रख चुके हैं। ठेकेदार किसी अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर को इस कानून के तहत जारी किए गए लाइसेंस के जरिए ही नौकरी पर रख सकता है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, १९७९

लाइसेंस में मुख्य रूप से इन चीजों का उल्लेख होगा :

- जिस बंदोबस्त या समझौते के तहत मजदूर को भर्ती किया जा रहा है उसकी शर्तें और नियम क्या होंगे।
- मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलेगी।
- काम की पाली कितने घंटों की होगी।
- तनख्वाह कितनी होगी।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं क्या होंगी।

इस कानून के अध्याय IV में बताया गया है कि ठेकेदार की जिम्मेदारियां क्या होंगी :

१. सबसे पहले तो ठेकेदार को स्रोत एवं लक्ष्य, दोनों राज्यों में संबंधित विभागों में जाकर अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी जमा करानी चाहिए। यह जानकारी भर्ती के समय या भर्ती के बाद अधिकतम १५ दिन के भीतर जमा करा दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार, अगर कोई मजदूर घर लौटता है या उसकी नौकरी खत्म हो जाती है तो ठेकेदार को संबंधित विभागों के पास यह जानकारी जमा करानी चाहिए कि उस मजदूर की सारी मजदूरी अदा कर दी गई है और उसे गृह राज्य लौटने के लिए यात्रा का पूरा किराया भी अदा कर दिया गया है।

२. ठेकेदार प्रत्येक मजदूर को एक अद्यतन पासबुक देगा। यह पासबुक अंग्रेजी/हिंदी या मजदूर की अपनी भाषा में होगी। पासबुक में ये जानकारियां होंगी :

- मजदूर का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- उस प्रतिष्ठान का नाम और जगह, जहां मजदूर काम कर रहा है।
- नौकरी की अवधि।
- तनख्वाह अदायगी की दर और तरीका
- विस्थापन भत्ता

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, १९७९

- मजदूर की घर वापसी किराया - जिसका भुगतान या तो ठेके की अवधि खत्म होने पर या रोजगार अनुबंध में बतायी गयी किसी आपात स्थिति में किया जा सकता है।
- कटौतियों का ब्यौरा।
- अन्य उल्लिखित विवरण।

इस कानून के अध्याय ५ में बताया गया है कि प्रवासी मजदूर को कितनी मजदूरी मिलेगी, उसके कल्याण के लिए तथा अन्य सुविधाएं कौन सी होंगी।

मजदूरी की दर, छुट्टियां, काम के घंटे और नौकरी की अन्य शर्तें संबंधित प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होंगी और एक जैसा काम करने वालों के लिए एक समान होंगी। किसी भी स्थिति में प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कानून, १९४८ के तहत तय की गई मजदूरी की दर से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, १९७९

तनख्वाह के अलावा मजदूरों को विस्थापन भत्ता भी अदा किया जाएगा। यह विस्थापन भत्ता मासिक देय तनख्वाह का ५० प्रतिशत होगा।

ठेकेदार की तरफ से जाने और लौटने का यात्रा भत्ता भी अदा किया जाएगा। यह यात्रा भत्ता मजदूर के मूल निवास स्थान से उस जगह तक के किराये से कम नहीं होगा जहां वह काम करने जा रहा है। ऐसे मजदूरों को यात्रा के दौरान भी नौकरी पर माना जाएगा लिहाजा उनको यात्रा के दिनों में भी मजदूरी अदा की जानी चाहिए।

इस कानून के तहत ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह मजदूरों को :

- नियमित रूप से तनख्वाह दिलाए।
- स्त्री और पुरुष, सभी मजदूरों को समान श्रम के लिए समान तनख्वाह दिलाए।
- उचित कार्य परिस्थितियां मुहैया कराए।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, १९७९

- नौकरी के दौरान उचित आवास सुविधाएं मुहैया कराए।
- मजदूरों को उचित चिकित्सा सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराए।
- सुरक्षात्मक कपड़े मुहैया कराए।
- अगर कोई घातक दुर्घटना होती है या किसी मजदूर को गंभीर चोट आती है तो मजदूर के गृह राज्य एवं जहां वह काम कर रहा है, उन दोनों स्थानों पर संबंधित अधिकारियों को तथा मजदूर के परिजनों को फौरन इस बारे में सूचित करे।

तनख्वाह के भुगतान की जिम्मेदारी

तनख्वाह के भुगतान की जिम्मेदारी

ठेकेदार ने जिन मजदूरों को भर्ती किया है, उनकी तनख्वाह के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर होगी। यह भुगतान नौकरी की अवधि खत्म होने से पहले कर दिया जाना चाहिए। जिस समय मजदूरों को तनख्वाह दी जा रही है, उस समय प्रधान नियोक्ता की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि भी मौजूद होना चाहिए जो इस बात की पुष्टि करेगा कि मजदूरों को पूरी तनख्वाह दी जा रही है या नहीं।

अगर ठेकेदार निश्चित अवधि के भीतर तनख्वाह का भुगतान नहीं करता है या कम तनख्वाह का भुगतान करता है, या वह भत्तों या सुविधाओं के मद में भुगतान नहीं करता है तो मजदूरों को उनकी तनख्वाह और सुविधाओं के मद में भुगतान करने का जिम्मा प्रधान नियोक्ता के ऊपर होगा।

औद्योगिक विवादों के संबंध में किए गए प्रावधान

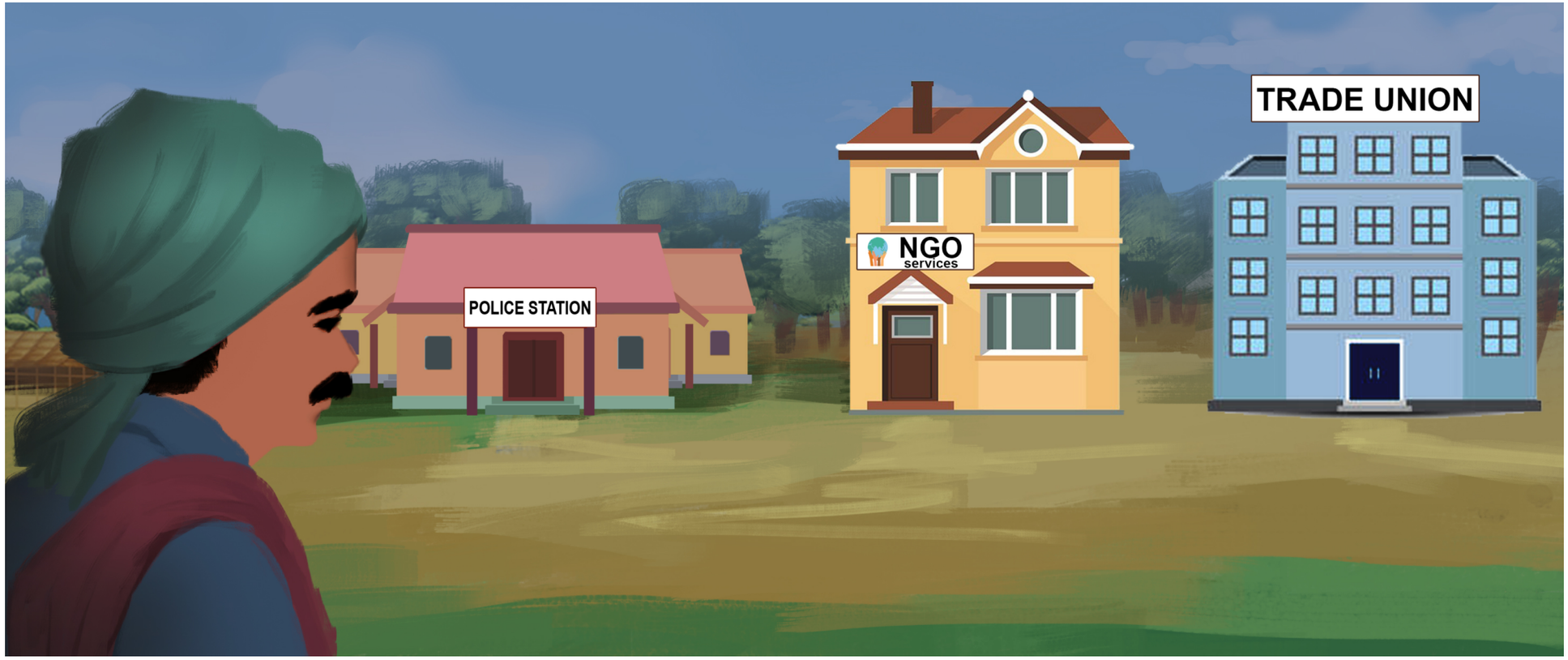

औद्योगिक विवादों के संबंध में किए गए प्रावधान

लेबर इंस्पेक्टर इस बात पर नजर रखेंगे कि इस कानून के नियमों का गंभीरता से पालन हो। गृह राज्य के इंस्पेक्टर भी भट्टे पर जाकर यह देख सकते हैं कि वहां इस कानून के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। कोई भी मजदूर नौकरी का अनुबंध खत्म होने के बाद भी लक्ष्य राज्य में या घर लौटने पर अपने गृह राज्य में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसे किसी भी विवाद से संबंधित शिकायत गृह राज्य लौटने की तारीख से छह महीने के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास जमा करा दी जानी चाहिए।

- प्रत्येक प्रधान नियोक्ता और ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर का पूरा ब्यौरा, उनके काम के स्वरूप, उनको अदा की गई मजदूरी की दर और अन्य विवरणों को एक रजिस्टर में दर्ज करें। मगर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों के तहत रजिस्टर के संबंध में अनुपालन सरलीकरण नियमावली, २०१७ (ईज़ ऑफ कम्प्लायंस रूल्स, २०१७) जारी किया है। इस नियमावली में आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम को भी शामिल किया गया है। इस नियमावली के अनुसार फॉर्म ए, बी, सी और डी के तहत नियोक्ता/मालिक क्रमशः कर्मचारी रजिस्टर, मजदूरी रजिस्टर, कर्ज रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर रख सकते हैं।

औद्योगिक विवादों के संबंध में किए गए प्रावधान

- प्रधान नियोक्ता और ठेकेदार को कार्यस्थल पर मुख्य स्थानों पर निर्धारित प्रारूप में नोटिस लगाने होंगे जिसमें काम के घंटे, काम के स्वरूप और ऐसी ही अन्य जानकारियों का ब्यौरा दिया जाएगा।

सज़ा

सज़ा

अगर इस कानून या इसके तहत जारी की गई किसी नियमावली का उल्लंघन किया जाता है तो दोषियों को एक साल तक की कैद या १,००० रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। अगर कोई दोबारा इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर उल्लंघन की अवधि के लिए प्रतिदिन ५०० रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

बच्चे

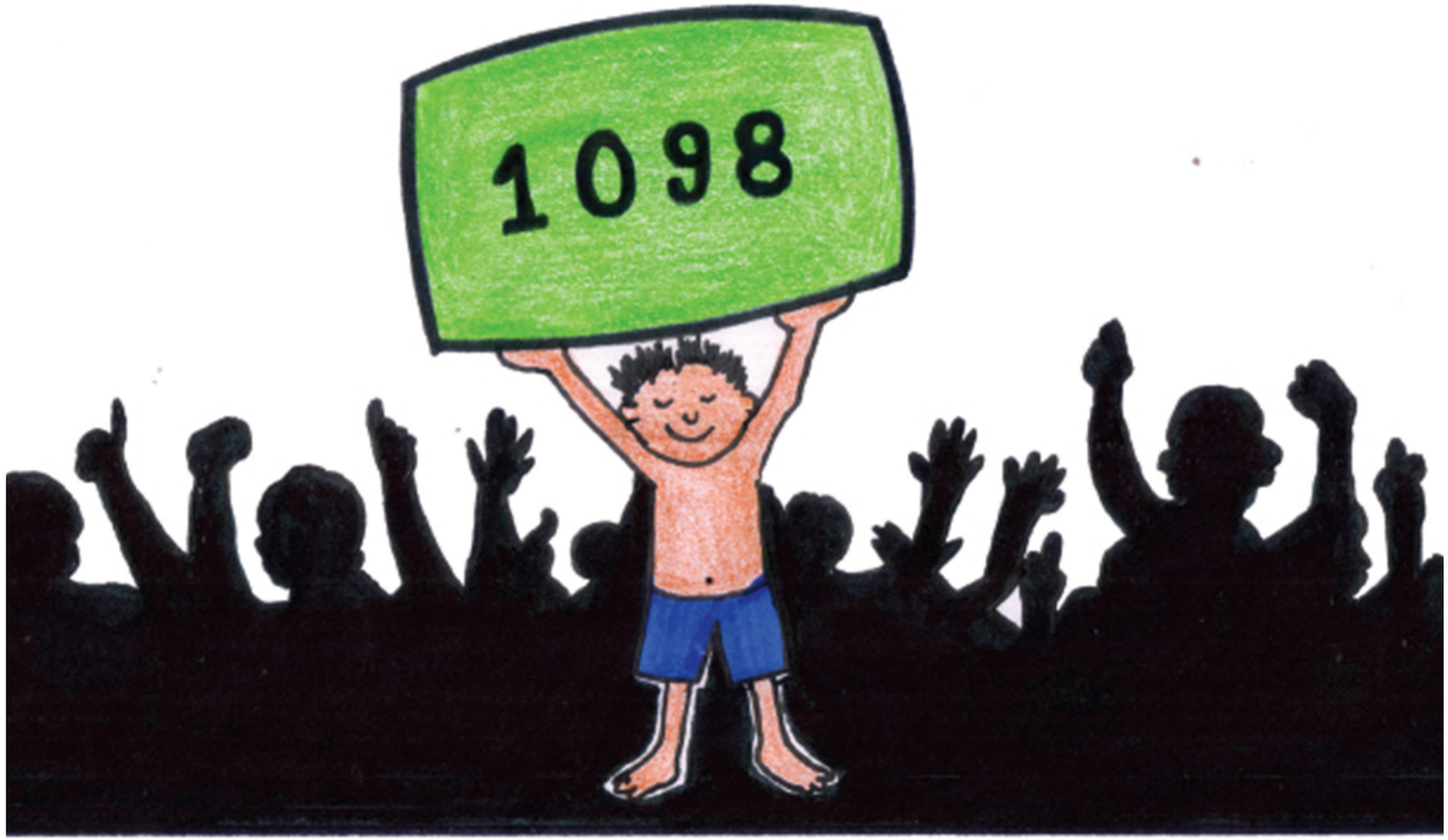

बच्चे

जब प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ भट्टों में आते हैं तो बच्चे सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में होते हैं। गृह राज्य से लक्ष्य राज्य में आने पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाती हैं। इससे उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास पर ऐसा असर पड़ता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, २००९

इस कानून को शिक्षा अधिकार कानून या आरटीई (राइट टू एजुकेशन ऐक्ट) के नाम से जाना जाता है। इस कानून में ६ से १४ साल की उम्र तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक घर के निकट स्थित किसी स्कूल में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है। इस कानून के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :

- कोई भी बच्चा स्कूल में किसी तरह की फीस या शुल्क अदा नहीं करेगा।
- अगर बच्चे की उम्र ६ साल से अधिक है और उसको अभी तक किसी स्कूल में दाखिल नहीं कराया गया है या स्कूल में दाखिल कराने के बावजूद वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है तो उसे उसकी आयु के अनुकूल कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उस बच्चे

को जल्दी से जल्दी उस कक्षा के शेष बच्चों के स्तर तक लाने के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर विशेष शिक्षा/कोचिंग (रेमेडियल क्लासेज़) दी जाएगी।

- १४ साल की उम्र पूरी होने तक बच्चे को निशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।
  - अगर स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है तो ऐसा बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित स्कूलों और सरकारी सहायता या निधि प्राप्त न करने वाले स्कूलों के अलावा किसी अन्य स्कूल में दाखिले के लिए स्थानांतरण मांग सकता है।
- अगर कोई बच्चा गृह राज्य या किसी अन्य राज्य में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसके पास किसी भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर/स्थानांतरण का अधिकार होगा। यह ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसके पिछले स्कूल से तत्काल जारी किया जाना चाहिए। अगर उसे तत्काल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो इसके आधार पर दूसरा स्कूल उसे दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता। जिस स्कूल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना है उसकी तरफ से विलंब की स्थिति में स्कूल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बच्चे

- संबंधित प्रशासन एवं स्थानीय अधिकारी उस स्थान के आसपास स्कूल खोल सकते हैं जहां प्रवासी बच्चे रह रहे हैं।
- अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान स्थानीय प्रशासन पर इस बात की जिम्मेदारी डालता है कि :

  (क) ६ से १४ साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए उसका दाखिला, हाजिरी सुनिश्चित करें।

  (ख) उसके आसपास स्कूल मुहैया कराएं।

  (ग) यह सुनिश्चित करें कि कमजोर और हाशियाई तबकों के बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से किसी तरह से न रोका जाए।

  (घ) स्कूल की इमारत जैसा बुनियादी ढांचा, अध्यापक और शैक्षिक सामग्री मुहैया कराएं।

बच्चे

- इनके अलावा, स्थानीय प्रशासन की यह भी जिम्मेदारी है कि वे :

  (क) अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले १४ साल की उम्र तक के सारे बच्चों का रिकॉर्ड रखें।

  (ख) प्रवासी परिवारों के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाएं।

  (ग) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के क्रियाकलापों पर नजर रखें।

  (घ) अकादमिक कैलेंडर तय करें।

- प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पास के किसी स्कूल में दाखिल कराएं।

- संबंधित प्रशासन ३ साल तक के बच्चों को निशुल्क स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी बंदोबस्त करेगा ताकि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयारी कराई जा सके। प्रशासन की ओर से ऐसे बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल भी मुहैया कराई जाएगी।

बच्चे

- प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र कानून के तहत जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष दस्तावेजों के आधार पर तय की जाएगी। इस कानून (भाग १ - प्रारंभिक) के तहत जारी की गई आदर्श नियमावली (मॉडल रूल्स) में जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा कराने का प्रावधान किया गया है :
  - अस्पताल/एएनएम (ऑक्ज़िलरी नर्स ऐण्ड मिडवाइफ) के रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड
  - आंगनवाड़ी रिकॉर्ड
  - माता-पिता या अभिभावकों द्वारा बच्चों की उम्र के बारे में हलफनामे के जरिए की गई घोषणा।
- **मगर, आयु प्रमाणपत्र न होने पर भी किसी बच्चे को दाखिला देने से इनकार नहीं किया जाएगा।**

बच्चे

- किसी भी बच्चे को अकादमिक सत्र की शुरुआत में या विशेष परिस्थितियों में अन्य अवसरों पर स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। इस कानून के तहत (भाग १- प्रारंभिक) जारी की गई आदर्श नियमावली में बताया गया है कि अकादमिक सत्र शुरू होने के ६ महीने बाद तक भी बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है।

मगर, इस ६ महीने की अवधि पूरे होने के बाद भी किसी बच्चे को दाखिला देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

- स्कूल में दाखिल किए गए किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक न तो फेल किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा।
- स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की मारपीट, सजा या मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा।

बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर निगरानी

बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर निगरानी

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अथवा प्रदेश बाल सुरक्षा आयोगों की जिम्मेदारी है कि वे :

- इस कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधानों की जांच और समीक्षा करते रहें और इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित सुझाव दें।
- निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करें।

जहां प्रदेश बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन नहीं किया गया है वहां संबंधित प्रशासन को ही इन जिम्मेदारियों को निर्वाह करना होगा।

शिकायतों की सुनवाई

अगर किसी के पास इस अधिनियम के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों की अवहेलना का कोई मामला या शिकायत है तो वह व्यक्ति संबंधित विभाग या आयोग के पास इस मद में लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर निगरानी

स्थानीय प्रशासन सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद तीन महीने के भीतर इस शिकायत पर फैसला दे देगा।

अगर स्थानीय निकाय के फैसले से किसी पक्ष को आपत्ति है तो वे राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के समक्ष अपील कर सकते हैं।

खास बातें

- प्रवासी मजदूर होने से न तो देश के नागरिक के रूप में आपकी कानूनी हैसियत में कमी आती है और न ही आपके अधिकारों में कोई कटौती होती है।
- प्रवासन की प्रत्येक अवस्था में सही जानकारियां हासिल करना सबसे पहली जरूरत है। ये जानकारियां जुटाने का सिलसिला प्रवासन के पहले तभी से शुरू हो जाता है जब हम इस बारे में फैसला लेते हैं।
- सुरक्षित प्रवासन से मजदूर को लाभ होता है और उसे व उसके परिवार के लिए नए अवसरों के द्वार खुलते हैं।
- आपकी कार्य परिस्थितियां और काम की शर्तें स्थानीय मजदूरों से भिन्न नहीं होनी चाहिए।
- किसी ऐसी यूनियन या मजदूर संगठन की सदस्यता लें जो आपके निवास स्थान या आपके भट्टे पर निर्माण मजदूरों या भट्टा मजदूरों को संगठित करती हो। यूनियन ही ठेकेदारों, मालिकों और सरकारी अधिकारियों को कानूनों के सही क्रियान्वयन के लिए मजबूर कर सकती है। यूनियन ही कार्यस्थल पर शोषण की रोकथाम के लिए कदम उठा सकती है। यूनियन के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी के सहारे मजदूर बदलाव का रास्ता खोल सकते हैं।

खास बातें

- ठेकेदार ने जिन मजदूरों को भर्ती किया है, उनकी तनख्वाह के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर होगी। यह भुगतान नौकरी की अवधि खत्म होने से पहले कर दिया जाना चाहिए।
- प्रधान नियोक्ता और ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर का पूरा ब्यौरा, उनके काम के स्वरूप, उनको अदा की गई मजदूरी की दर और अन्य विवरणों को एक रजिस्टर में दर्ज करें।
- भर्ती, भुगतान, लाभों और काम के दौरान किसी भी स्थिति में आपके साथ जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- कार्यस्थल पर आपके साथ निष्पक्ष और समानता का बर्ताव किया जाना चाहिए।
- आपकी कार्य परिस्थितियां और काम की शर्तें स्थानीय मजदूरों से भिन्न नहीं होनी चाहिए।
- मजदूरी की दर, छुट्टियां, काम के घंटे और नौकरी की अन्य शर्तें संबंधित प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होंगी और एक जैसा काम करने वालों के लिए एक समान होंगी।
- किसी भी स्थिति में प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कानून, १९४८ के तहत तय की गई मजदूरी की दर से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।

By

BUILDING A WIDER HORIZON
CEC
WITH LABOUR

In partnership with

प्रयास Prayas
www.prayaschittor.org

terre des hommes
Help for Children in Need

Funded By the European Union